714वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 जनवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9336/2022 Shri Ganesh Kolhe, Owner, No. 25, Santoshi Mata Ward, Pandhurna, Dist. Chhindwara, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.865 ha. (17662 Cum per annum) (Khasra No. 237 Part), Village - Lavhana, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP)</u>

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/24 को परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश कोल्हे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ganesh Kolhe, Owner, Ward No.25, Santoshi Mata Ward - Pandhhurna, Tehsil- Pandhhurna & District- Chhindwara (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	237 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.865 hectare.
स्थल	ग्राम Lavhana तहसील Pandhurna जिला Chhindwara (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 13/01/22 के द्वारा स्वीकृत ।	

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2036 दिनांक 09/11/22 के द्वारा पत्थर–17,662 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–44,155 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता पत्थर–17,662 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 27/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.386 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 27/07/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 27/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लिंगाऐलेतीर जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/01/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- 04 Tree Felling - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 151 मी.
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 44 मी.– 06 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–41 के सरल क्रमांक–140 पर दर्ज है ।

जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता पत्थर–17,662 घनमीटर/वर्ष ।
2. पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला लगभग 44 मी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 06 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोडा जाना सुनिश्चित करेगा।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.98 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 0.10 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला लव्हाना में शौचालय एवं पानी की टंकी की व्यवस्था	50,000
ग्राम लव्हाना में एक हेंडपंप की व्यवस्था की जाएगी	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2865 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य	200

		स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा , कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत लव्हाना के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
	ग्राम पंचायत लव्हाना के प्राथमिक शाला , आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1165
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. <u>Case No 9894/2023 Shri Amarnath Sharma, R/o 46, Shanti Vihar Colony, Thatipur, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Ladhera Stone Quarry in an area of 2.40 ha. (19380 Cum per annum) (Khasra No. 675, 677, 678), Village-Ladhera, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) DEIAA to SEIAA Case</u>

प्रकरण समिति की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/23 के मिनिट्स में टाइपिंग त्रुटि में निम्नानुसार सुधार किया जाता है :–

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

के स्थान पर निम्नानुसार विवरण पढ़ा जाये ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री–एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 18/01/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री **Shri Amarnath Sharma** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑनलाईन ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रांरभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में श्री अमरनाथ शर्मा के नाम से द्वारा डिया से ई.सी. जारी हुई थी। यह खदान नवीन परियोजन प्रस्तावक श्री मुकेश सिंह को अंतरण (**कलेक्टर के अंतरण आदेश क्रमांक 5283-85 दिनांक 20/04/2022**) हुई है, अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक के लिये यह नवीन प्रकरण है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र पहाडी पर है जिसमें रूट स्टाक अच्छादित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह क्षेत्र नॉन माईनिंग के रूप में छोडा जाना प्रस्तावित है, अतः माईनिंग हेतु 1.48 हे खनन हेतु उपलब्ध होता है एवं नॉन माईनिंग क्षेत्र में बीजारोपण/पौधा रोपण किया जावेगा।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि **1185 पौधो का वितरण किया** पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक **कार्य प्रस्तुत किया गया विद्यालय में कुलर, आंगनवाडी में निर्माण कार्य**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर– 19380 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. रूट स्टाक अच्छादित क्षेत्र को नॉन माईनिंग के रूप में छोडते हुये बीजारोपण/पौधा रोपण किया जावे एवं खनन कार्य केवल 1.48 हे मे ही किया जावे।
6. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
7. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम लदेरा स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 06 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	60,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोनके अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–नीम, खमेर, कालासिरिस, सिस्सू, जंगल,जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल, सफेद,सिरिस, पीपलआदि	300
2	नॉनमाइनिंगजोनमें वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, चिरोल ,	170

		सफेदसिरिस, पीपलआदि	
3	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–पुत्रंजीवा, मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	1230
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

3. <u>Case No 10878/2023 Shri Umesh Jat, Lessee, R/o Nai Abadi, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Doomaheda Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (5035 cum per year) (Khasra No. 1081/1), Village-Dhoomaheda, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)</u>

प्रकरण आज सेक की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

4. <u>Case No 10872/2023 Shri Ashok Lodhi, Owner, H.No. 91/2, Gram Nayakheda, District-Datia (MP)-475661, Prior Environment Clearance for Nayakheda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (35000 cum per year) (Khasra No. 2550), Village-Nayakheda, Tehsil-Datia, District-Datia (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashok Lodhi, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ashok Lodhi, Owner, H.No. 91/2, Gram Nayakheda, District-Datia (MP)-475661, Prior Environment Clearance for Nayakheda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (35,000 cum per year) (Khasra No. 2550), Village-Nayakheda, Tehsil-Datia, District-Datia (MP)	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 2550,	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम–नयाखेड़ा तहसील – दतिया, जिला– दतिया (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 464 दिनांक 24/02/2015.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2	
प्रस्तावित टॉर	**लागू नहीं।**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Blasting will be done by licensed contractor. (As per Parivesh Portal up-loaded information Point No. 19.2).	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक क्यू/खनिज 3–6, डिया 2308/14 दिनांक 13/05/16 के पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 35,000** cum per year**.**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 788 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 788 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 788 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – नयाखेड़ा, जिला – दतिया का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 02 दिनांक 27/11/2012 द्वारा पूर्व पट्टाधारी को अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पूर्व दिशा– कच्चा रोड लगभग 32 m.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **38** के सरल क्रमांक – **52** पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई तथा बेरियर जोन में व्यवस्थित ढंग से वृक्षारोपण नहीं किया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	स्कुल के सहयोग हेतु राशि के संबंध में प्रचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–35,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम परवलिया सड़क के स्कूल पालक शिक्षक संघ में 3 माह के अंदर सहायता राशि प्रदान करना।	50,000.00

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4140 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बॅरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, आंवला व अन्य फलदार प्रजाति के साथ पीपल, बरगद, नीम आदि के पौधे। पौधों के बीच में एक सीताफल पौधे का 4 रोपण किया जाएगा।	1035
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां आदि।	1000
3	परवलिया सड़क ,नीलबड़ एवं ग्राम पंचायत के पास वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां।	1070
4	परवलिया सड़क ,नीलबड़ एवं बरखेड़ा बोंदर एवं बरखेड़ा सलाम ग्रामवासियो को पौधो का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व स्थानीय प्रजाति आदि।	1035

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

5. Case No 10880/2023 Shri Rajesh Kedia, Proprietor, M/s Jai Hanuman Stone Mine, R/o Ward No. 5, Shree Automobile, Amarkantak Road, District-Anuppur (MP)-484224, Prior Environment Clearance for Khoh Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 414/3), Village-Khoh, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gajraj Meena, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल । उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Rajesh Kedia, Proprietor, M/s Jai Hanuman Stone Mine, R/o Ward No. 5, Shree Automobile, Amarkantak Road, District-Anuppur (MP)-484224,, Prior Environment Clearance for Khoh Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15,000 cum per year) (Khasra No. 414/3), Village-Khoh Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) [448604].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 414/3,	एरिया– 2.00 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम–खोह, तहसील – सोहागपुर, जिला–शहड़ोल (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 454–2 दिनांक 02/03/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2	
प्रस्तावित टॉर	**लागू नहीं।**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting ,use of sand bags, (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया से पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 15,000** cum per year**.**	
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल	

परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	प्रमाण–पत्र क्रमांक 844 दिनांक 03/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 844 दिनांक 03/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➢ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहड़ोल 454–2 दिनांक 02/03/2017 द्वारा अवगत कराया गया कि एक्त खदान वन भूमि कक्ष क्र0. पी. 816 के मुनारा क्र0. 14 से 60 मी. की दूरी पर स्थित है, जिसकी अनुमति संभागायुक्त समिति द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है (बैठक दिनांक 22/02/2017 की प्रति संलग्न)।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 844 दिनांक 03/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➢ खदान से 50 मी. की दूरी पर कच्चा रास्ता बजाया गया।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – रामनगर उर्फ लोधीपुरा, जिला – शहड़ोल का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 21 दिनांक 05/06/2023 द्वारा पूर्व पट्टाधारी को अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पूर्व दिशा में स्टाप डेम लगभग 600 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 14 के सरल क्रमांक– 79 पर दर्ज है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के वन भूमि कक्ष क्र0. पी. 816 के मुनारा क्र0. 14 से 60 मी. की दूरी पर स्थित है, जिसकी अनुमति संभागायुक्त समिति द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान बैठक दिनांक 22/02/2017 की गयी थी जिसमें चैनलिंग फेन्सिंग व मुनारे बनाने की शर्त थी इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त कार्य नहीं किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–15,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.59 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.05 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)

ग्राम खोह के स्कूल पालक शिक्षक संघ में 3 माह के अंदर सहायता राशि प्रदान करना।	50,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बॅरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	आम, अमरुद, जामुन व अन्य फलदार प्रजाति के पौधे पौधों के बीच में एक सीताफल पौधे का रोपण 4 किया जाएगा।	600
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां ।	600
3	खोह, सोनहा एवं ग्राम पंचायत के पास वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां ।	600
4	खोह, सोनहा एवं छीरा पटपार ग्रामवासियो को पौधो का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व स्थानीय प्रजाति आदि ।	600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

6. <u>Case No 10875/2023 Shri Anup Singh, Partner, M/s Vansh Stone Crushing Company, R/o Village-Hatai, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-452016, Prior Environment Clearance for Hatai Stone & M-Sand in an area of 4.00 ha. (Stone-25000, M-sand-75000 cum per year) (Khasra No. 778/2, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887, 888, 890, 891), Village-Hatai, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP).</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/24 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Anup Singh, Partner, M/s VANSH STONE CRUSHING COMPANY, Village - Hatai, Tehsil- Nagda, District- Ujjain, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	778/2, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887, 888, 890, 891 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	4.00 hectare.
स्थल	Village - Hatai, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 9670 दिनांक 01/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–75,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10186 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10186 दिनांक 07/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10186 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हतई जिला उज्जैन के पत्र दिनांक 23/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-05 Tree Felling - 05 Additional tree to be planted -50
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्ची रोड लगभग 15 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 35 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
	पश्चिम दिशा– कच्ची रोड लगभग 14 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 35 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–.के सरल क्रमांक पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–75,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 31.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.69 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. खदान क्षेत्र में 05 पेड है जिनमें से 05 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें ।
6. जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 50 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)

ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,80,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5850 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 1000 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	सीताफल,आम, जामुन , अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1000
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1500 मीटर) के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	800
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला , अनार, निम्बू, कटहल, आदि	3000
4	नॉन माइनिंग क्षेत्र में लगाए जाने वाले पौधे	सीताफल,आम, जामुन, अमरूद, आंवला , अनार, निम्बू, कटहल, आदि	**1000**
5	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पोधो की संख्या	नीम, पलाश आदि	**50**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No 10867/2023 Shri Nilesh Dhote, Owner, House No. 81, Junawani, Post-Sohagpur, District-Betul (MP)-460004, Prior Environment Clearance for Junawani Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 62/1/2), Village-Junawani, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)

प्रस्तावित **Murrum** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/24 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीलेश धोट, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri NILESH DHOTE, Owner, House no 81 Junawani post Sohagpur District Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	62/1/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village Junawani, Tehsil Betul, District Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 9350 दिनांक 21/07/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	मुरम का प्रकरण होने के कारयण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम–10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 27/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 27/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 27/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं	

	जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नाहिया जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed-03 Tree Felling - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा– कच्ची रोड लगभग 15 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 35 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 27/09/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम–10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.86 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र एवं फारेस्ट मार्ग से प्रतिबंधित रहेगा।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सी.ई.आर मद से 40,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम जूनावानी के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु 03 माह के अंदर जमा की जावेगी।	**40,000/-**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	300
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. <u>Case No 9873/2023 Shri Vimal Bhadur Singh, R/o Satendra Bhawan, Bhatta Mohalla, Tehsil & District Katni (MP)-499501, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 8.020 ha. (98183 TPA) (Khasra No. 417/1, 417/2, 420/1, 420/2), Village-Bhatgawa Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP) (EIA)</u>

प्रस्तावित **Dolomite** खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है। इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक ने पूर्व में नियुक्त पर्यावरण सलाहकार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. के स्थान पर मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा.लि. को नियुक्त किया गया है ।

714वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 जनवरी 2024

प्रस्तावित प्रकरण आज दिनांक 18/01/24 को परियोजना प्रस्तावक श्री विमल सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VIMAL SINGH, Propwritetor, Satyendra bhawan bhatta mohalla Tehshil & didtrict - katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	417/1, 417/2, 420/1, 420/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	8.02 hectare.
स्थल	Village.-BHATGAWA-SUNEHARA, Tehsil-MURWARA , District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 10546 दिनांक 03/08/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म–1 पार्ट–ए बिंदु क्रमांक–19.1 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
टॉर	सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 591 दिनांक 06/06/23 के द्वारा 98,183 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट–98,182.5 टीपीए आवेदन किया गया है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 261 दिनांक 14/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 261 दिनांक 14/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 261 दिनांक 14/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत टेढ़ी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक	

पंचायत की अनापत्ति	19/02/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 08 पेड है जिनमें से 08 पेड काटे जाना प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो कच्चा रोड लीज क्षेत्र में से होकर जा रहा है, उसको सेटबेक देते हुये वृक्षारोपण हेतु संरक्षित किया गया है एवं 100 मी. की दूरी पर पूर्व में मजदूरों के अस्थायी कच्चे मकान थे जिनमें वर्तमान में कोई रहवासी निवासरत् नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–66 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट–98,183 टीपीए ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 23.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 07.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. लीज क्षेत्र में से जो कच्चा रोड होकर जा रहा है, उसको निर्धारित सेटबेक देते हुये वृक्षारोपण हेतु संरक्षित किया जावे।
4. खदान क्षेत्र में 08 पेड है जिनमें से 08 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें ।
5. जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 80 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करगें।
6. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल की गई है।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)

बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के वन्य प्राणी के रहवास एवं वन्य कर्मचारी कल्याण हेतु सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी प्रधान मुख्य वन संरक्षक कटनी (म.प्र.) के खाते में हेतु जमा की जावेगी।	100,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 9710 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण + No Mining Zone**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**1150 +80**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा , पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**7830**
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)मीटर (**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**650**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. <u>Case No 10877/2023 Shri Chandra Chauhan, Lessee, 490, Gulab Bai Colony, Nagda, District-Ujjain (MP)-456335, Prior Environment Clearance for Makala Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (3450 cum per year) (Khasra No. 418/2), Village-Makla, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [DEIAA]</u>

प्रकरण आज सेक की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने

चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

10. Case No 10879/2023 M/s Ram Stone Crushing Company, Partner, 30, Chetak Complex, Zone-2, M.P. Nagar, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Parwaliya Sadak Stone Quarry in an area of 3.45 ha. (22500 cum per year) (Khasra No. 620/1/1/1, 620/1/1/2), Village -Parwaliya Sadak, Tehil- Huzur, District -Bhopal (M.P.)

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री ठाकुरदास पंजवानी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s RAM STONE CRUSHING COMPANY. 30, Chetak Complex, Zone - 2, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	620/1/1/1 & 620/1/1/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	3.450 hectare.
स्थल	Village -Parwaliya Sadak, Tehil- Huzur, District -Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2255 दिनांक 18/11/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र पृ. क्रमांक 487 दिनांक 01/08/16 के द्वारा पत्थर–22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा औसतन उत्पादन क्षमता पत्थर–22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता पत्थर–22,500 घनमीटर /वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3347 दिनांक 26/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक	

की अनापत्ति	3347 दिनांक 26/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3347 दिनांक 26/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परवलिया सड़क जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 14/04/06 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 02 Additional tree to be planted -20
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– पक्की रोड लगभग 160 मी परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 40 मी सेटबेक छोडा गया है।
	पश्चिम दिशा– कच्ची रोड लगभग 60 मी एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान के पास में जो संरचना है वह मजदूरो के अस्थायी शेल्टर है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–44 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान	अपूर्ण पायी गई।

स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 200 पौधे लगाये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	..... के माध्यम से कार्य किये गये है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता पत्थर–22,500 घनमीटर /वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खदान क्षेत्र में 02 पेड है जिनमें से 02 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें ।
6. जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 20 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करगें।
7. दक्षिण दिशा में पक्की रोड लगभग 160 मी की दूरी पर है, अतः 40 मी सेटबेक छोडकर खनन कार्य किया जावें।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम परवलिया सड़क के स्कूल पालक शिक्षक संघ में 3 माह के अंदर सहायता राशि प्रदान करना।	50,000.00
बरखेड़ा बोंदर एवं बरखेड़ा सलाम ग्राम से पहुंच मार्ग तक सड़क का रख रखाव।	75,000.00

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4140 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बॅरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, आंवला व अन्य फलदार प्रजाति के साथ पीपल, बरगद, नीम आदि के पौधे। 4पौधों के बीच में एक सीताफल पौधे का रोपण किया जाएगा।	1035
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां आदि ।	1000
3	परवलिया सड़क ,नीलबड़ एवं ग्राम पंचायत के पास वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां ।	1070
4	परवलिया सड़क ,नीलबड़ एवं बरखेड़ा बोंदर एवं बरखेड़ा सलाम ग्रामवासियो को पौधो का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व स्थानीय प्रजाति आदि ।	1035
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. <u>Case No 10874/2023 Shri Gajraj Meena, Lessee, R/o Shop No. 05, Tehsil-Chachoda, District-Guna (MP)-473115, Prior Environment Clearance for Barkhua Stone Quarry in an area of 2.60 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 48/1/1), Village-Barkhoda, Tehsil-Kumbhraj, District-Guna (MP).</u>

714वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 जनवरी 2024

प्रस्तावित **Stone** खदान का आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gajraj Meena, Lessee एवं उनके उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gajraj Meena, Lessee, R/o Shop No. 05, Tehsil-Chachoda, District-Guna (MP)-473115, Prior Environment Clearance for Barkhua Stone Quarry in an area of 2.60 ha. (20,000 cum per year) (Khasra No. 48/1/1), Village-Barkhoda, Tehsil-Kumbhraj, District-Guna (MP) [451234].
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 48/1/1, एरिया– 2.60 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम–बरखुआ, तहसील – कुंभराज, जिला– गुना (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 639 दिनांक 22/11/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी–2
प्रस्तावित टॉर	**लागू नहीं।**
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting ,use of sand bags, (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नहीं।**
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 20,000** cum per year**.**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 537 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.60 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 537 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 537 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। 50 मी. की दूरी पर कच्चा रास्ता बजाया गया।

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – रामनगर उर्फ लोधीपुरा, जिला – गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 21 दिनांक 05/06/2023 द्वारा पूर्व पट्टाधारी को अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -01 Tree Felling -01 Additional tree to be planted -10
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– . कच्चा रोड में लगभग 50 मी.
	उत्तर पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 263 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 537 दिनांक 06/10/2023 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त खनिपट्टा को अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि यह पुरानी खदान है पूर्व में अस्थायी परमिट के आधार पर संचालित हुई थी । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता पत्थर–22,500 घनमीटर /वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.80 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. ...लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान क्षेत्र में 01 पेड है जिनमें से 01 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें ।
4. जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 10 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करगें।
5. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
6. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम रामनगर उर्फ लोधीपुरा ग्राम पालक शिक्षा संघ में शासकीय विद्यालय विकास हेतु उल्लेखित राशि भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी	50,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3130 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन में वृक्षारोपण)691 मी(में परिधि .	*खमेर, कालासिरिस, सफेदसिरिस, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू सफेद कस्टार , करंज* आदि	700
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 255 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– करंज, पीपल, नीम, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	100
	प्राथमिक स्वास्थ केंद्र पास उपलब्ध क्षेत्र	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, नीम आदि	100
	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	2230

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 10876/2023 Shri NAVEEN AGRAWAL, Owner, Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P.), Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2900 cum per year) (Khasra No. 30), Village- Lepa, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P.).</u>

प्रस्तावित **Soil** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024को परियोजना प्रस्तावक श्री नवीन अग्रवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri NAVEEN AGRAWAL, Owner, Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	30 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Lepa, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1265 दिनांक 25/09/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मिट्टी–2900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मिट्टी–2900 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1528 दिनांक 03/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1528 दिनांक 03/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1528 दिनांक 03/11/23 अनुसार 200 मीटर पर वेदा नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लेपा जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य की अनुमति प्रदान की गई ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में बहुत से पेड़ लगे हुये है एवं रूट स्टाक भी है।	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– डेम एवं पुल लगभग 500 मी. से अधिक दूरी पर है।	
	पश्चिम दिशा– नदी लगभग 352 मी.	

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 03/11/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिय जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

- प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इन्वेन्ट्री, झाडी प्रजाति के साथ, ऊचाई एवं गर्थ एवं फोटोग्राफ सहित विषय विशेषज्ञ से प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाये।

13. Case No 10873/2023 Shri Himanshu Kalraiya, Authorized Person, M/s Shreeji Infrastructure India Private Limited, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Modakpur Stone Quarry in an area of 1.850 ha. (150793 cum per year) (Khasra No. 101/1), Village-Modakpur, Tehsil-Begamganj, District-Raisen (MP).T.P- for 02 years.

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–1/2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु कलरिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Himanshu Kalraiya, Authorized Person, M/s SHREEJI INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED, Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	101/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.850 hectare.
स्थल	Village Modakpur, Tehsil- Begamganj, District- Raisen (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक .1640 दिनांक 08/09/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर 1,50,793	

	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर 1,50,793 घनमीटर /वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1888 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1888 दिनांक 07/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1888 दिनांक 07/11/23 अनुसार ार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरखंडी जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–21 दिनांक 27/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा - Pakka road is about 385 meter
	पश्चिम दिशा– हालेज रोड खदान से लगभग 17 मी. की दूरी पर है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1888 दिनांक 07/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर 1,50,793 घनमीटर /वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.71 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम मरकंडी के अन्तर्गत आरहे प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में उल्लेखित राशि जमा की जावेगी	1,40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2220 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा ,715 मीटर परिधि तक	आम, आमला, जामफल, नीम, कटहल, संतरा, जामुन, मुनगा सीताफल, आदि।	715
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर	नीम, सिस्सू,, कदम्ब, करंज, पाकर.,पीपल आदि।	150
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	1305
4	ग्राम मरकंडी ग्राम पंचायत परिसर में उपलब्ध क्षेत्र में।	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर. पुत्रंजीवा, आदि।	50
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 9460/2022 Shri Ramsingh, Owner, Panchkuva Shankarpur, Makshi road, District Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 159), Village - Gunaikhalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) (EIA)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री श्रीराम ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SHREERAM SINGH, Owner, Panchkuva Shankarpuur Makshi Road District Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	159 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.40 hectare.
स्थल	Village Gunaikhalsa, Tehsil Ujjain, District Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 9802 दिनांक 22/02/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2508 दिनांक 05/01/23 के द्वारा पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1921 दिनांक 02/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.40 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1921 दिनांक 02/11/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं ह।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1921 दिनांक 02/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का	

	रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा एनओसी क्रमांक क्यू/पंच/2022 दिनांक 27/01/2021 प्रस्तुत किया।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- 13 Tree Felling - 09 Additional tree to be planted - 90
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्की रोड लगभग 108 मी. एवं कच्चारोड 16 मी. एक पक्का मकान लगभग 29 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा– स्ट्रक्चर लगभग 19 मी परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई रहवासी क्षेत्र नहीं है।
	पश्चिम दिशा– हॉलेज रोड स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–175. के सरल क्रमांक–14. पर दर्ज है
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान पूर्व दिशा में स्थित पहाडी के तलहटी में स्थित है जो लीज एरिया के अंदर आ रही है, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निद्रेश दिया की इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये मियावाकी (सघन रोपण) पद्धति से पौधारोपण प्रस्तावित करें एवं साथ ही खदान के उत्तर दिशा में पक्की रोड लगभग 108 मी. एवं कच्चा रोड 16 मी. तथा एक पक्का मकान लगभग 29 मी. की दूरी पर स्थित है, अतः इन सभी संवेदनशील बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया खनन योजना में भी संशोधन करवाये, तथा सक्षम विभाग से अनुमोदन कराकर परिक्षण हेतु प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

15. <u>Case No 10868/2023 Shri Jagdish Sondhiya, Lessee, Badoud, Gangapur, District-Shajapur (MP)-465447, Prior Environment Clearance for Borkhedi Lada Crusher Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (Stone-8010, M-Sand-5073 cum per year) (Khasra No. 395), Village – Borkhedi Lada, Tehsil- Susner, District-Agar Malwa (M.P.)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश सोधिया, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri JAGDISH SONDHIYA, LEESSEE, Badoud, Gangapur, Shajapur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	395 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village – Borkhedi Lada, Tehsil- Susner, District-Agar Malwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 12493 दिनांक 12/09/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म–1 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–8,010 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–5,073 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–8,010 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–5,073 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 866 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 866 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 866 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पालदा जिला आगर मालवा के ठहराव दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -05 Tree Felling - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– नाला लगभग 75 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया की उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 100 मी पर एक शेड है जो स्टोर है जिसमें कोई रहवास नहीं है। आबादी लगभग 233 मी से अधिक की दूरी पर है।
	दक्षिण दिशा में प्राकृतिक नाला लगभग 260 मी.
	पूर्व दिशा में पक्का रोड लगभग 233 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल पत्र क्रमांक 835 दिनांक 09/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–8,010 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–5,073 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.51 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल पालड़ा में 1 कम्प्यूटर, प्रिन्टर , प्रिन्टर टेबल के साथ एवं एक अलमारी	60,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, करंज, आम, चिरोल, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	बोरखेड़ी लड़ा ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
4	ग्राम पंचायत भवन एवं शास. स्कूल बोरखेड़ी लड़ा में	पीपल, कचनार, कदम्ब एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. <u>Case No 10857/2023 Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited, 26 A & B, Block-E, Panki, Kanpur Nagar, (UP)-208020, Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" (1800 TPA) at Plot No. 17 (P & H) Sector B-I in IGC, Village-Maneri, Tehsil-Niwas, District Mandla (M.P.) .Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility. (TOR).</u>

1.	Online Proposal No	SIA/MP/INFRA2/452728/2023.
2.	Proposal /Activity	Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited,

	Name	26 A & B, Block-E, Panki, Kanpur Nagar, (UP)-208020.
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for "Common Biomedical Waste Treatment Facility" (1800 TPA) at Plot No. 17 (P & H) Sector B-I in IGC, Village-Maneri, Tehsil-Niwas, District Mandla (M.P.) [452728]. **Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.**
4.	EC Status (Fresh or Exp.)	New
5.	Project Cost Rs.	5.00 Crore.
6.	Proposed ToR.	PP Submitted.
7.	Lease Area (Govt./ Pvt.)	17 (P & H) Sector B-I in IGC, Vill.-Maneri, Tehsil-Niwas, District Mandla (M.P.)
8.	Ind. Area Notification	17th January 2012 (Area declared - 486.917 Ha.).
9.	Production Capacity	Bio medical waste from Hospitals and other institution -1800 TPA,
10.	LETTER OF INTENT	MP Industrial Development Corporation Ltd. Bhopal (M.P.) Application Number : 1040232009083 dated 10/02/2023.
11.	Types of Treatment (CBWTF)	3 types of treatment options shall be provided in Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBWTF). • Incineration • Autoclaving • Shredding
12.	Project components	Incinerator (02 No.) standby Autoclave Shredder Chemical Disinfection Tank: ETP
13.	Any other details	250 kg each Capacity Incinerator with Standby for Prompt Services
14.	Total Plot Area (in sqm)	4500.0 (in sqm).
15.	Affidavit of Construction/Litigation	Submitted by PP Dated 08/05/2023.
16.	Nearest operational CBWTF details	92 KM Elite Engineers 48 Narmada Road Jabalpur(M.P.).
17.	CGWA / Gram Sabha NOC	PP Apply NOC letter No. 3222 dated 04/06/2023 MIDC Jabalpur office.
Documentary Details		
18.	Env. Consultant.	Shri Hari Om Sharan Dwivedi, **M/s** Green Enviro Engineers Pvt. Ltd. Kanpur (U.P.).
19.	DG Set details.	DG. Set of 62 KVA capacities as standby.
20.	ETP	10 KLD.
21.	CTO/CTE	NA
22.	PFR	Ok
23.	Risc Assesment	NA

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पर्यावरण सलाहकार संस्था **M/s** Green Enviro Engineers Pvt. Ltd. Kanpur (U.P.). के स्थान पर **M/s Prakriti Consultants Services , Lucknow** को नियुक्त किया गया है इनकी ओर से **Dr Divya Misra** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण की समीक्षा करने पर पाया गया कि पूर्व में प्रकरण केस न. 9992/2023 के रूप में पंजीकृत था। सिया स्तर से स्कुटनी के पश्चात् सीपीसीबी गाईडलाईन तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तत्समय की पॉलिसी के आधार पर उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया गया था । चर्चा उपरांत समिति ने निर्णय लिया कि निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्राप्त की जावे :–

- वर्तमान में इस क्षेत्र एवं आस–पास के 75 किलो मीटर क्षेत्र में बॉयो मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन किस प्रकार एवं किस सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ के माध्यम से किया जा रहा है, इस संबंध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
- प्रस्तावित ओद्योगिक क्षेत्र में अन्य सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ (मे. रामकी) को सिया द्वारा ई.सी जारी की गई है। इस सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ की स्थापना एवं संचालन की अद्यतन स्थिति म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर से प्राप्त की जावे।

17. <u>Case No 10856/2023 Shri Dhiraj Kannoje, Lessee, R/o Scheme No. 54, G.H. 107, Vijay Nagar, District-Indore (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Rangwasa Stone Quarry in an area of 4.50 ha. (39474 cum per year) (Khasra No. 62/1/1/2), Village-Rangwasa, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Dhiraj Kannoje, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DHIRAJ KANNOJE, Lessee, R/o- Scheme No. 54, G.H 107 Vijay Nagar Indore, District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	62/1/2/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.50 hectare.
स्थल	Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.).	

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 990 दिनांक 18/09/18 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 155 दिनांक 28/09/18 के द्वारा पत्थर–39,474 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–39,474 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–39,474 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2297 दिनांक16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2297 दिनांक16/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2297 दिनांक16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रंगवासा जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–15 दिनांक 26/08/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–40 के सरल क्रमांक–20 पर दर्ज है ।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया

अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
29. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

18. <u>Case No 10871/2023 Shri Keshav Mangal, Partner, M/s Dev Associates, R/o Saroj Traders, Sadar Bazar, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Devri Khurd Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 228/1), Village-Devri, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Keshav Mangal, Partner, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Keshav Mangal, Partner, M/s Dev Associates, R/o Saroj Traders, Sadar Bazar, District-Shivpuri (MP)-473551,, Prior Environment Clearance for Devri Khurd Stone Quarry in an area of 4.00 ha. **M-Sand - 10,000 cum per year,** (Khasra No. 228/1), Village-Devri, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) [440747].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 228/1,	एरिया– 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम–देवरी तहसील – नरवर, जिला– शिवपुरी (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 16189 दिनांक 25/11/2022.	
परियोजना की श्रेणी	बी–1	
प्रस्तावित टॉर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Single Row Muffle Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information Point No. 19.1).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नहीं।**	
उत्पादन क्षमता	**एम–सेण्ड – 10,000** cum per year**.**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – देवरीखुर्द, जिला – भिण्ड़ का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 05 दिनांक 14/04/2021 द्वारा जारी की गई है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 14 के सरल क्रमांक – 13 पर दर्ज है ।	

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान पहाड पर स्थित है, एवं रिज के दोनो ओर नहर भी स्थित है, अतः सिया द्वारा निर्धारित स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप/प्रोडक्शन मेप सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान पहाड पर स्थित है, अतः सरफेस रन ऑफ स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
8. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
9. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर ग 01 मीटर ग 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
11. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
13. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

19. <u>Case No 10870/2023 Shri Sandeep Agnihotri, Owner, Giradharlal Mandir Ke Pass, Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)-471201, Prior Environment Clearance for Mudwara Stone & M-Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone-30000, M-Sand-40000 cum per year) (Khasra No. 1/2/2KHA), VILLAGE MUDWARA, TEHSIL NOWGAON, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.) (TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 18/10/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri Sandeep Agnihotri</u>** एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SANDEEP AGNIHOTRI, OWNER, Giradharlal Mandir ke Pass Nowgaon, District Chhatarpur, Madhya Pradesh 471201.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/2/2KHA (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	VILLAGE MUDWARA, TEHSIL NOWGAON, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 02/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता एम सेंड एवं पत्थर–70,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–40,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता पत्थर–70,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–40,000 घनमीटर/वर्ष) है। (अपलोड खनन् योजना सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड)	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2846 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.787 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2846 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2846 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 16/08/12 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
प्रस्तावि स्थल की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान क्षेत्र पठार पर है एवं लीज	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	एरिया खुदा हुआ है (वर्ष 2013 से 2015 के बीच)। । उत्तर पूर्व दिशा– 130 पर अबादी है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–90 के सरल क्रमांक–17 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ **टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

1. प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र पठार पर है एवं उत्तर पूर्व दिशा– 130 पर अबादी है, अतः सिया द्वारा निर्धारित स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप/प्रोडक्शन मेप सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

20. <u>Case No 10869/2023 Shri Anil Shivhare, Owner, Ward No. 06, Village-Barigarh, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)-471510, Prior Environment Clearance for Mudhara Metal Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.81 ha. (Stone-15000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 1881), VILLAGE MUDHARA, TEHSIL GAURIHAR, DISTRICT CHHATARPUR, (M.P.) (TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 18/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Anil Shivhare, Online_**एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ANIL SHIVHARE, OWNER, Ward No. 06, Village Barigarh, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1881 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.810 hectare.
स्थल	VILLAGE MUDHARA, TEHSIL GAURIHAR, DISTRICT CHHATARPUR, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1636 दिनांक 19/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर और एम सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–15,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–15,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर और एम सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–15,000 घनमीटर/ वर्ष एवं एम सेंड–15,000 घनमीटर/वर्ष) है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.416 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 15/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुडहरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रसतावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 06 से 07 पेड है जिनको काटा नहीं जावेगा	

	Tree Felling - No
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2718 दिनांक 29/09/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ **टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

1. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
3. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।

21. <u>Case No 10657/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Amkhut Sand Deposit in an area of 1.80 ha. (2178 cum per year) (Khasra No. 274), Village-Amkhat, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP) – B2</u>

प्रकरण का समिति की पूर्व 696वीं बैठक दिनांक 22/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान नाला में स्थित है। लीज क्षेत्र से पूर्व दिशा में 121 मी. की दूरी पर 90 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज है। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा। खनिज अधिकारी ने अवगत कराया की विगत 3 वर्ष से खदान का संचालन नही हुआ है अतः इस संबंध में भी ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग से अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत , खनिज अधिकारी श्री सतिश नागले एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कायालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1643 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शातें हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2178 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 1.62 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.60 लाख प्रति वर्ष ।
2. **खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।**
3. परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, आमखुट के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	6,000

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1200
2	ग्राम आमखुट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	960

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No 10665/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Bijoriya-2 Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (5400 cum per year) (Khasra No. 363), Village-Bijoriya, Tehsil- Katthiwada, District-Alirajpur (MP).

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण का समिति की पूर्व 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को हुआ था । परीक्षण के दौरान समिति ने पाया लीज क्षेत्र में से नदी की पतली जलधारा निकल रही है तथा पश्चिम दिशा में 453 मी. की दूरी पर 116 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज है। **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।**

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1621 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शातें हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–5400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.27 लाख प्रति वर्ष ।

2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा ।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 9000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, बिजोरिया के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	9,000

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1500
2	ग्राम बिजोरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	300

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर

पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. <u>Case No 10354/2023 Shri Prashant Mahajan, Partner, M/s Shri Vallabh Stone Crusher, R/o Village-Pipaljhopa, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone (MP)-451228, Prior Environment Clearance for Pipaljhopa Stone (Gitti and M-Sand) Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8), Village-Pipaljhopa, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं बैठक दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि खदान क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी दिशा नहर 97 मी. पर है चूकी अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन् छोडने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षीत माईनिंग प्लान प्रस्तुत करेंगे। उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

- पुनरीक्षित माईनिंग प्लान ।
- कृषि भूमि के संबंध में पटवारी से फसल का 03 वर्ष की जानकारी लेना है,
- तथा सी.ई.आर योजना के अंतर्गत भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ में जमा करने का परियोजना प्रस्तावक वचनपत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक प्रशांत महाजन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

पर्यावरणीय सलाहकार अवगत कराया गया कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 15/12/2023 को जेक हैमर एवं रॉक ब्रेकर के माध्यम से पुनरीक्षित माईनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए अन्य जानकारीया, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–15,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.74 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपलझोपा में (03 माह के अंदर) 1 कम्प्यूटर, प्रिन्टर , प्रिन्टर टेबल के साथ	60,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1210
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत			

पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No 8623/2021 Shri Samuel Vasanthan, R/o, House No. 391/5, Green Garden, L-Block, Anna Nagar East, Dist. Chennai, Tamil Nadu. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 7.50 ha. (3600 cum per annum) (Khasra No. 14, 15/1), Village - Madkheda, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (MP)

प्रकरण आज सेक की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

25. Case No. - 10482/2023 Shri Shubham, Lessee, R/o Village-Ratikheda, Tehsil & District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Khejra Nai Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7, 275 cum per year) (Khasra No.- 41/1), Village-Khejra Nai, Tehsil - Shadhora, District-Ashok Nagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Shubham, Lessee,** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Shubham, Lessee, R/o Village-Ratikheda, Tehsil & District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Khejra Nai Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7, 275 cum per year) (Khasra No.- 41/1), Village- Khejra Nai, Tehsil - Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [439397].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–41/1,	एरिया– 2.00 ha., **शासकीय भूमि**

परियोजना स्थल	ग्राम– खेरजा नाई, तहसील– साढौरा, जिला– अशोकनगर (म.प्र.)
सैंधातिक सहमति	लीज हस्तांतरण पत्र क्र0. 617 दिनांक 06/11/2019.
परियोजना की श्रेणी	बी–2.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Deep hole Blasting will be adopted (as per approved Mine Chapter 3.1.2).
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**श्री विशाल जैन को पत्र क्र0. 117 दिनांक 26/09/2018 द्वारा स्टोन क्रशिंग क्षमता – 7,980 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक से पूर्व मे प्रदत्त ई.सी. के परिपेक्ष्य में पालन प्रतिवेदन लिया जाना प्रस्तावित है।**
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **गिट्टी– 7, 275** घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 606 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 606 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 606 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/**नगर निगम की अनुमति**	कार्यालय, नगर पंचायत– अखाई कृष्णा जिला – **अशोकनगर** का पत्र क्र0. 06 दिनांक 05/10/2015 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–**26** के सरल क्रमांक – **24** पर दर्ज है।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र **दिनांक 26/09/2018 के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक डिया जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की जानकारी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रांरभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में श्री विशाल जैन के नाम से द्वारा डिया से ई.सी. जारी हुई थी। यह खदान नवीन परियोजन प्रस्तावक श्री शुभम को अंतरण (**कलेक्टर के अंतरण आदेश क्रमांक** 617 दिनांक 06/11/2019 हुई है, अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक के लिये यह नवीन प्रकरण है।

समिति द्वारा पूर्व में डिया जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 100 पौधे लगाये है एवं 400 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक **कार्य संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–7225 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.48 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।

4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. ..... लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1940 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा **577 मीटर** परिधि तक)	सिस्सू, काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, पीपल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोल आदि।	580
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर ; 200 मीटर तक)	नीम, सिस्सू, चिरोल, पुत्रंजीवा, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	135
3	खदान क्षेत्र के नजदीक स्थित साइट ऑफिस परिसर में 50 वृक्ष लगाए जावेंगे	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण– 50 नग	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	**आंवला,** सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1125
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

26. Case no. 10677/23 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Faliyamau-2 Sand Deposit in an area of 1.50 ha. (5500 cum per year) (Khasra No. 01), Village, Faliyamau-2 Tehsil- Katthiwada, District-Alirajpur (M.P.)-B2.

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नाला पर स्थित है, जिसका समिति की 697वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।**

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मदन प्रकाश, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शातें हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–5500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.36 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.23 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 9000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फलियामऊ के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**9,000**

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1500
2	ग्राम फलियामऊ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	300
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

(SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. <u>Case No 9592/2022 Shri Munendra Singh, Partner, M/s MGLS Mining Company, R/o Narwariya, Panchsheel Nagar, District-Datia (MP)-475661. Prior Environment Clearance for Bahangikalan Laterite Deposit(54810 MT/year in an area of 9.010 ha. (Khasra No. - 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village- Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)-EIA.</u>

This is case of Laterite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village-Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP) 9.010 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुनेन्द्र सिंह (ऑनलाईन) एवं उनके उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष ईआईए का प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई।

SN	Projects Details			Remarks
1.	Name of the project/ Company / Organisation	Prior Environment Clearance for Bahangikalan Laterite Deposit in an area of 9.010 ha. (Khasra No. - 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village-Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP) [411001].		
2.	Name of the Applicant and Address	Shri Munendra Singh, Partner, M/s MGLS Mining Company, R/o Narwariya, Panchsheel Nagar, District-Datia (M.P.).		
3.	Proposal No	SIA/MP/MIN/411001/2023.		
4.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)	Khasra No. - 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589,	**9.010 Ha.**	**Govt. Land.**
5.	Location of Project	Khasra No. - 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589), Village- Bahangikalan, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)		
6.	Production Quantity in m3/year	Laterite – 54810 Cubic Meter/Year,		
7.	ToR Status	ToR recommended in 623rd SEAC Meeting dated 22/02/2023. ToR issued vide letter no. 3148-49 dated 21-03-23.		
8.	Date of Public Hearing	09/08/2023.		
	Documentary Details			
9.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. – 11727 date 30/09/22. Ok. 01 more mine Total Area – 10.930 ha.		
10.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Lease Transfer Order No. – F-3-19/2018/12/1 dt. 26/09/2020.		
11.	Tehsildar Certificate	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. – 11727 date 30/09/22.		
12.	DFO NOC	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. – 11727 date 30/09/22.		
13.	PWD Inter State Boundary distance letter - 10 KM.	Letter No. 184 date 26/02/2021.		
14.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	No. -18 dated 12/09/2008. P-12.		
15.	Khasra Panchshala (P-II form).	Kh No. - 583, 584, 585, 586, 587, 588 and 589,		
16.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Laterite – 54810 Cubic Meter/Year, Ok Page No. - 65.		
17.	Env. Consultant:	MR. Krishna Chand Panda Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.(U.P.) Validity - 04-08-24,		
18.	DSR	उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी जावेगी।		
19.	No. of tree saplings to be planted.	खदान क्षेत्र में कुछ पेड लगे हुये है।		
20.	Risk Assessment	Ok		Ok
21.	गूगल इमेज अनुसार	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं		

	वर्तमान स्थिति	है।मात्र झाडियॉ आदि है। उत्तर दिशा– आबादी लगभग 137 मी. एवं उत्तर पश्चिम दिशा दिशा– कच्चा रोड लगभग 15 मी. पर स्थित है इस संबंध में 50 मी. का सेट बेक प्रस्तावित किया है। पश्चिम दिशा – नहर लगभग 130 मी. की
22.	जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान प्रदूषण, पशुओं को चरने के लिये जगह, स्वास्थ्य शिविर एवं फसलों की सुरक्षा इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई हैः–

- स्पष्ट करें खदान के लिये आवंटित खसरों में से चारागाह का खसरा क्रमांक कौन सा है एवं उसका क्षेत्रफल खदान के कुल रकबे में से कितना है।
- चारागाह विकास के लिये ग्राम पंचायत से परामर्श करते हुये स्थान, क्षेत्रफल एवं उर्पयुक्त बजट सहित ईएमपी प्रस्तुत करें।
- परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया था कि क्रेशर यूनिट जो की खदान क्षेत्र से 500 मी. की दूरी पर प्रस्तावित है अतः इस संबंध में PM2.5 एवं PM10 के संदर्भ में प्रयुक्त मॉडल में इनपुट वेल्यू (पैरामीटर्स) विचार किये गये थे, साथ ही इन वेल्यू का सोर्स क्या है तथा यह वेल्यू जिस भी ऐजेन्सी/संसथान द्वारा मॉनिटरिंग की गई थी उनके एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया जावें।
- पुनरीक्षित सीईआर योजना।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, परियोजना प्रस्तावक श्री मुनेन्द्र सिंह (ऑनलाईन) एवं उनके उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष ईआईए का प्रस्तुतीकरण किया गया प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि :–

The detail of Khasra no of the grazing land is given in Tehsildar report and details of Khasra are as given bellow.

S.No.	**Khasra No.**	**Area**	**Type**
1	583	0.67	shaskiye pahad

2	584	1.82	shaskiye Charagah
3	586	5.72	shaskiye Charagah
4	587	0.12	shaskiye pahad
5	588	0.27	shaskiye pahad
6	589	0.41	shaskiye pahad
Total		9.01	

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लेटेराईट खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। खदान क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो पहाड पर स्थित है, संवेदनशील होने के कारण यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा गया है जिसका लगभग क्षेत्रफल 3.6 हे. है, तथा खनन हेतु 5.33 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है जो कि सरफेस मेप में दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए अन्य जानकारी, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–**54810 T/Year** ।
2. खदान क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो पहाड (लगभग क्षेत्रफल 3.6 हे) पर स्थित है, संवेदनशील होने के कारण यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा रखा जावेगा ।
3. खनन कार्य 5.33 हे. क्षेत्र में ही किया जावेगा।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.55 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय बहंगीकलां के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी |	2,00,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र बहंगीकलां की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	1,00,000
आसपास के गांवों 2 (बहंगीकलां एवं खरगु खेडा में नेत्र (एवं दंत चिकित्सा देखभाल के लिए	10,000

जागरूकता शिविर और स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया जायेगा	

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 11000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	Barrier Zone	Sisam, Neem,Karanj,Jungle Jalebi, Khamer,Chirol etc.	500
2	Non-Mining Zone	Sisam, Neem,Karanj,Jungle Jalebi, Khamer,Chirol etc.	2000
3	Approach road (Minimum Height 1 m)	Kadam, Chirol,Kachnar,Neem,peeple and others	100
4	Distribution in Farmers/Plantation in community land	Mango,Munaga, custard apple, jamun,Amrud etc.	8400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अलीराजपुर रेत खदान की संशोधित रिपोर्ट

खनिज अधिकारी श्री सतीष नागले द्वारा अपने कार्यालय कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खदान की संशोधित रिपोर्ट पत्र क्रमांक 77 दिनांक 16/01/2024 के माध्यम से प्रस्तुत की गई। खनिज अधिकारी ने बताया कि :–

- जिला अलीराजपुर में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में रेत समूह की 49 खदानें सम्मिलित थी।
- खनि निरीक्षक एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा खदानों का भौतिक सत्यापन उपरांत प्रतिवेदन अनुसार 20 रेत खदानों में Enforcement and monitoring Guideline 2020 के पैरा क्रमांक 4. 3(h) के अनुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़े जाने पर संबंधित खदान का प्रभावित रकबा एवं रेत मात्रा उपलब्ध नही होने से रेत खदाने पृथक की गई ।
- 13 रेत खदानों में प्रतिबंधित दूरी छोडने पर रकबा व रेत उत्पादन मात्रा कम होना पाया गया हैं एवं उक्त रेत खदानों के जी.पी.एस. कोर्डिनेट भी बदले गये है।
- 16 रेत खदानों में रेत उत्पादन मात्रा कम होना पाया गया हैं। कुल 29 रेत खदानों में खनन योजना में संशोधन कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
- जिला सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रति जन सामान्य के सुझाव हेतु 21 दिवस की अवधि में प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय अलीराजपुर की वेबसाईट पर दर्शित किया गया है एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों को आवश्यक होने पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर गठित समिति के परीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से **DSR** रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा एवं सिया व सैक समिति को **DSR** रिपोर्ट में प्राप्त किये गये सुझावों को सम्मिलित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जायेगा।
- जिले की भौगोलिक स्थिति अनुसार खनिज रेत खदानों का रकबा एवं मात्रा में संशोधन अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है।
- अतः राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात समिति (SEIAA) के समक्ष जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसको समिति द्वारा मान्य किया गया एंव **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला–** अलीराजपुर **रेत खनिज (संशोधित) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।**

(चंद्र मोहन ठाकुर)	**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.

14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.

iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety

signage & caution boards shall be displayed at mine site.

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.

m. Lease owner's Name, Contact details etc.
n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
p. Minable Potential of sand mine.
q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP

and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

37. **FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
    - Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
    - Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
    - A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
    - The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

38. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
40. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
41. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर

इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

42. CER योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

43. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष

- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल